कार्यालय श्रम आयुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड–03 द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
(E-mail-com-labour.cg@gov.in Phone No. 0771-2443515, Fax- 0771-2443516)

क0/70/प्रवर्तन/श्र.आ./2016/7272, नया रायपुर, दिनांक 4 नवंबर 2016

आदेश

Business Reforms Action Plan 2016 (BRAP-2016) के संदर्भ में Ease of Doing Business के अंतर्गत निर्धारित मापदंडो एवं तत्संबध में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचनाओं एवं निर्धारित प्रकियाओं के दृष्टिगत विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रवर्तन सुनिश्चित करने, निरीक्षण एंव अनुवर्ती कार्यवाही हेतु निम्नांकित व्यवस्था तत्काल प्रभावशील की जाती है–

1. नवीन व्यवस्था के तहत प्रत्येक निरीक्षक का भौगोलिक क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्व संभाग होगा एवं निरीक्षण मात्र निर्देशित स्थापना का निर्देशित दिनांक को निर्देशित निरीक्षक/अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जावेगा। इस व्यवस्था के तहत प्रतिमाह निरीक्षण किये जाने वाले स्थापनाओं की सूची निरीक्षकवार विभागीय वेब पोर्टल पर Risk Assessment (Low Risk, Medium Risk and High Risk Industries) के आधार पर Randomized Computer प्रणाली से प्रत्येक माह के दिनांक 10 तक श्रम आयुक्त द्वारा जारी की जावेगी।

2. उपरोक्तानुसार पोर्टल पर उपलब्ध सूची में उल्लेखित स्थापना में उल्लेखित दिनांक को उल्लेखित निरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में संबधित स्थापना पर लागू समस्त श्रम अधिनियमों के अंतर्गत निरीक्षण किया जावेगा, एवं कारखाना की स्थिति में कारखाना निरीक्षक एवं श्रम निरीक्षक द्वारा एक साथ निरीक्षण किया जावेगा। निरीक्षण के 48 घंटे के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट को निरीक्षक द्वारा विभागीय पोर्टल पर अनिवार्यतः अपलोड किया जावेगा। *निर्धारित निरीक्षण प्रारूप विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है। पोर्टल की संबंधित Screen Shot संलग्न है।*

3. नियोजक द्वारा उपरोक्तानुसार अपलोड किये गये निरीक्षण रीपोर्ट को डाउनलोड किया जा कर, उल्लंघनों की स्थिति में, 15 दिवसों के भीतर उल्लंधनों की पूर्ति की जावेगी एवं तदनुसार प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड किया जावेगा। उल्लंधनों की पुर्ति होने की स्थिति में प्रकरण समाप्त कर समझा जावेगा। एवं पालन प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में निरीक्षक नियमानुसार अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर न्यायालय में अभियोजन प्रकरण अथवा दावा प्रकरण जैसी भी स्थिति हो प्रस्तुत करेगा।

4. अभियोजन कार्यवाही के संबध में स्पष्ट किया जाता है कि समस्त निरीक्षक समस्त अधिनियमों के तहत संपूर्ण राज्य हेतु निरीक्षक अधिसूचित है अतः निरीक्षण एवं अभियोजन में कोई विधिक बाधा नहीं है। निरीक्षण की अनुवर्ती कार्यवाही के फलस्वरूप अभियोजन की कार्यवाही उस जिले के श्रम कार्यालय/उपसंचालक/सहायक संचालक कार्यालय द्वारा की जावेगी जिस जिले में निरीक्षित स्थापना अवस्थित है। साक्ष्य के संबध में न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर संबधित निरीक्षक द्वारा नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित होगा।

5. उपरोक्त नवीन व्यवस्था के फलस्वरूप जिलों में श्रम अधिकारियों/उप संचालको द्वारा निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों/सहायक संचालकों को आवंटित कार्यक्षेत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त होती हैं। कोई अधिकारी किसी निरीक्षक को कोई कार्यक्षत्र आवंटित नहीं करेगा। किसी अधिकारी अथवा निरीक्षक के द्वारा स्वविवेक से कोई निरीक्षण नहीं किया जावेगा। उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त मात्र श्रम आयुक्त/ मुख्य कारखाना निरीक्षक के पूर्व निर्देश से ही अधिकारी अथवा निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जावेगा।

6. किसी औद्योगिक दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर जिला कार्यालय प्रमुख सहायक श्रम आयुक्त/श्रम अधिकारी/उप संचालक/सहायक संचालक यथा स्थिति श्रम आयुक्त सह मुख्य कारखाना निरीक्षक को तत्काल सूचित करते हुए घटना स्थल पर पहुँचेगा। श्रम आयुक्त द्वारा इस संबध में स्थिति के दृष्टिगत किसी कारखाना निरीक्षक विशेष को निर्देशित किया जावेगा जो कारखाना अधिनियम की धारा 88 व नियम 108 के परिपेक्ष्य में निरीक्षण करेगा एवं रिपोर्ट तत्काल पोर्टल पर अपलोड करेगा व श्रम आयुक्त को अवगत करेगा एवं उनके निर्देशवत विधिक अनुवर्ती कार्यवाही करेगा।

7. औद्योगिक संबधों के परिपेक्ष्य में अशांति उत्पन्न होने अथवा कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने पर कार्यालय प्रमुख तत्काल जिला दंडाधिकारी को सूचित करेगा तथा साथ में श्रम आयुक्त को सूचित करेगा। एवं जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था हेतु सहयोग करेगा। सामान्य परिस्थितियों में औद्योगिक संबध व आद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत पूर्ववत कार्यवाही प्रचलन में रहेगी।

4.11.16

(अविनाश चम्पावत)
श्रम आयुक्त
छत्तीसगढ़ नया रायपुर

पृ.क./70/प्रवर्तन/श्र.आ./2016/7272,   नया रायपुर, दिनांक 04नवंबर 2016

प्रतिलिपि–

1. विशेष सहायक मा0 मंत्री जी छ.ग. शासन श्रम विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. मा0 अध्यक्ष छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. मा. अध्यक्ष, छ.ग. श्रम कल्याण मंडल छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव छ.ग. शासन श्रम विभाग की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त कलेक्टर की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त शाखा प्रभारी, श्रम आयुक्त कार्यालय।
7. सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर।
8. सचिव, छ.ग. असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर।
9. समस्त सहायक श्रम आयुक्त/श्रम अधिकारी की ओर पालनार्थ।
10. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की ओर पालनार्थ।
11. कल्याण आयुक्त, छ.ग. श्रम कल्याण मंडल छ.ग. रायपुर।
12. समस्त श्रम निरीक्षक/उपनिरीक्षक/कल्याण निरीक्षक/कल्याण पर्यवेक्षक की ओर पालनार्थ।
13. समस्त उद्योग/कारखाने।
14. गार्ड फाइल।

4.11.16

श्रम आयुक्त
छत्तीसगढ़ नया रायपुर